न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटा, जिला कोटा (राज0)
पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश कुमार चौधरी , आर0ए0एस0

प्रकरण संख्याः 4/2024 (गुण्डा एक्ट)

उनवान

राज्य सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस स्टेशन सुल्तानपुर , जिला कोटा ग्रामीण (राज0)

बनाम

महावीर पुत्र चतुर्भुज जाति मीणा उम्र 50 साल निवासी मेदपुरा मौहल्ला सुल्तानपुर जिला कोटा ग्रामीण

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 (1)
राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975

निर्णय दिनांक : 24.05.2024

1. थानाधिकारी पुलिस स्टेशन **सुल्तानपुर** जिला कोटा ग्रामीण की ओर से जर्ये पुलिस अधीक्षक, जिला कोटा (ग्रामीण) यह इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 (1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 में कार्यवाही हेतु इस आशय के साथ पेश किया गया कि गैरसायल **महावीर पुत्र चतुर्भुज जाति मीणा उम्र 50 साल निवासी मेदपुरा मौहल्ला सुल्तानपुर जिला कोटा ग्रामीण** थाना क्षैत्र में अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तथा जुआ अध्यादेश अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करने का आदी है, तथा उक्त अपराध को करने में थाना क्षैत्र में आतंक बनाकर रखता है। गैरसायल की उक्त गतिविधियों से आम जन आतंकित होकर भयग्रस्त रहते है। जिससे उसके क्षैत्र में निवास करने वाले साक्षी लोग उसके विरूद्ध साक्ष्य देने के लिऐ आगे आने के इच्छुक नहीं रहते है। साक्ष्य देने की स्थिति में अपने आपको असुरक्षित महसूस करते है। गैरसायल के विरूद्ध आपराधिक रिकार्ड निम्न है।

क्र0 सं.	प्रकरण संख्या	धारा	चार्जशीट नं0 व दिनांक	न्यायालय निर्णय
1	2	3	4	5
1.	61/15.03.2023	13 आर.पी.जी.ओ.	47/21.03..2023	100रूपये जुर्माना दिनांक 27.03. 2023
2.	75/27.03.2023	13 आर.पी.जी.ओ.	59/30.03.2023	100 रूपये जुर्माना दिनांक 04.05. 2023

2 अतः **गैरसायल महावीर पुत्र चतुर्भुज जाति मीणा उम्र 50 साल निवासी मेदपुरा मौहल्ला सुल्तानपुर जिला कोटा ग्रामीण** के विरूद्ध इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

3. **गैरसायल महावीर पुत्र चतुर्भुज जाति मीणा उम्र 50 साल निवासी मेदपुरा मौहल्ला सुल्तानपुर जिला कोटा ग्रामीण** राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी गैरसायल की गई।

4. उक्त गैरसायल को सारवान आरोपों को अभिलिखित करते हुऐ नोटिस दिया गया। बाद तामील नोटिस उपस्थित उक्त गैरसायल द्वारा आज स्वंय स्वैच्छिक रूप से एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि वह प्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत उक्त इस्तगासा कार्यवाही में अंकित अभियोग की सूची से सहमत है। प्रार्थी वर्तमान में शान्ति पूर्वक अपना मजदूरी/व्यवसाय कर अपने एंव

अति. जिला कलक्टर
कोटा

परिवार का भरण पोषण कर रहा है। प्रार्थी के विरूद्ध उपरोक्त कार्यवाही से अदालत में बार–बार हाजिर होने के कारण अपने मजदूरी/व्यवसाय करने में आर्थिक हानि हो रही है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी के विरूद्ध विचाराधीन गुण्डा एक्ट की कायवाही निर्णित कर समाप्त करने की कृपा करें।

5. प्रकरण में उपस्थित गैरसायल स्वंय द्वारा इस्तगासा में वर्णित 13 आरपीजीओ के 2 अभियोग को स्वेच्छिक रूप से स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उभय पक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। गेरसायल द्वारा प्रकरण इस्तगासा में वर्णित अभियोग उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार स्वीकार किया है। इस्तगासा में वर्णित उक्त 13 आरपीजीओ के 2 अभियोग में गैरसायल को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध एंव अर्थदण्ड से दण्डित करने की स्थिति विद्यमान है। जिसके लिऐ पेरोकार सरकार द्वारा गैरसायल की गतिविधियां आमजन के लिऐ घातक होना कथन करते हुऐ गैरसायल को जिला बदर किये जाने की प्रार्थना की गई। गैरसायल को इस इस्तगासा प्रकरण में वर्णित 13 आरपीजीओ : प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध एंव अर्थदण्ड से दण्डित करने की प्रमाणिक स्थिति विद्यमान होने के कारण गेरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत गुण्डा परिभाषित है। जिसके फलस्वरूप राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की उपधारा 1 (ए) (बी) तथा (सी) के अन्तर्गत वर्णित स्थिति विद्यमान होना पाते हुऐ गेरसायल को जिला बदर किया जाना उचित समझते है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार **गैरसायल महावीर पुत्र चतुर्भुज जाति मीणा उम्र 50 साल निवासी मेदपुरा मौहल्ला सुल्तानपुर जिला कोटा ग्रामीण** को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) के अन्तर्गत **7** दिन के लिऐ थाना **सुल्तानपुर** जिला कोटा की सीमा से बूंदी जिला बून्दी के लिऐ निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल इस समयावधि में जिला कोटा की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा, नेकचलन रहेगा तथा निष्कासन अवधि के दौरान आने वाले प्रत्येकं दिन को अपनी उपस्थिति तथा गतिविधियो की जानकारी थानाधिकारी, थाना **कापरेन** जिला बून्दी को प्रस्तुत करेगा। थानाधिकारी, थाना, **कापरेन जिला बून्दी** गैरसायल की गतिविधियों पर निगरानी रखेगें। गैरसायल की उक्त **7 दिन** की निष्कासन अवधि 20 दिन पश्चात अर्थात दिनांक **12.06.2024** से प्रारम्भ होगी। थानाधिकारी सुल्तानपुर, जिला कोटा ग्रामीण उक्त गैरसायल **महावीर पुत्र चतुर्भुज जाति मीणा उम्र 50 साल निवासी मेदपुरा मौहल्ला सुल्तानपुर जिला कोटा ग्रामीण** को दिनांक **12.06.2024** को पुलिस अभिरक्षा में थाना **सुल्तानपुर** जिला–कोटा (ग्रामीण) की सीमा से बून्दी जिला बून्दी की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था करेगें। थानाधिकारी, थाना, **कापरेन** जिला **बून्दी** उक्त गैरसायल की उपस्थिति की सूचना तथा निष्कासन अवधि समाप्त होने पर थानाधिकारी **सुल्तानपुर** जिला कोटा (ग्रामीण) गैरसायल के वापस थाना क्षैत्र **सुल्तानपुर** जिला कोटा (ग्रामीण) में लोटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेगें।

7. निर्णय आज़ दिनांक 24.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
कोटा, जिला कोटा

अति. जिला कलक्टर
कोटा